पंचायत निगरानी याचिकाएँ अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

1.

पंचायत निगरानी नये नम्बर
पंचायत निगरानी संख्या : 39 / 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024 / 45

पंचायत निगरानी गत नम्बर
पंचायत निगरानी संख्या : 59 / 2019
आर.सी.एम.एस. नम्बर : 2019 / 00142

अनवान

प्रार्थी

फुलचंद पुत्र नेनाराम जाति रावल ब्राह्मण, निवासी वैलार, तहसील बाली, जिला पाली राज.

अप्रार्थीगण

1. किरणसिंह पुत्र केसरसिंह जाति राजपुत, निवासी वैलार, तहसील बाली जिला पाली राज.
2. ग्राम पंचायत कोठार, तहसील बाली, जिला पाली राज.

2.

पंचायत निगरानी नये नम्बर
पंचायत निगरानी संख्या : 60 / 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024 / 67

पंचायत निगरानी गत नम्बर
पंचायत निगरानी संख्या : 52 / 2021
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2021 / 114

अनवान

प्रार्थी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

किरणसिंह पुत्र केसरसिंह जाति राजपुत, निवासी वैलार, तहसील बाली जिला पाली राज.

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत कोठार जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कोठार तहसील बाली जिला पाली राज.
2. स्व. नैनाराम पुत्र मकनाजी जाति रावल ब्राह्मण के विधिक वारिसान:–
   2.1. नारायणलाल पुत्र नैनाराम
   2.2. फूलचंद पुत्र नैनाराम
   2.3. कन्हैयालाल पुत्र नैनाराम
3. स्व. जुहाराराम पुत्र मकनाजी जाति रावल ब्राह्मण के विधिक वारिसान:–
   3.1 रविशंकर पुत्र जुहाराराम
   समस्त जातिगण ब्राह्मण निवासीगण वेलार तहसील बाली जिला पाली राज.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी याचिकाएँ अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मूलसिंह यादव (नये प्रकरण संख्या जी.सी.एम.एस. नये 2024/67)
2. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अमजद अली सैयद नये प्रकरण प्रकरण संख्या जी.सी.एम.एस. 2024/45)
3. अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री मुलसिंह यादव (नये प्रकरण संख्या जी. सी.एम.एस. 2024/45)
4. अप्रार्थीगण संख्या 2/1 लगाय 2/3 व 3/1 की ओर से अधिवक्ता श्री अमजद अली सैयद (नये प्रकरण संख्या जी.सी.एम.एस. नये 2024/67)
5. अप्रार्थी संख्या 02 (जी.सी.एम.एस. 2024/45) अप्रार्थी संख्या 01 (जी.सी.एम.एस. नये 2024/67) के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (पाली)

–:निर्णय:–

दिनांकः 28.11.2025

उपरोक्त दोनों प्रकरणों में पक्षकार तथा विवादित आराजी समान होने से प्रकरणों को एक साथ निर्णीत करने का निश्चय किया जाता है।

पंचायत निगरानी याचिका प्रकरण संख्या 39/2024 जी.सी.एम.एस. 2024/45) बखिलाफ श्री किरणसिंह के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 02 ने अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जरिये प्रस्ताव संख्या 08 या 09 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को दिनांक 10.10.1996 के द्वारा पट्टा जारी किये जाने के आदेश की पालना में दिनांक 10.10.1998 को पट्टा जारी किया उसे निरस्त करने हेतु यह आवेदन पेश किया गया। ग्राम पंचायत ने किसी भी प्रकार की पत्रावलीको दर्ज नहीं किया हैं किसी भी तारीख में दर्ज नहीं किया है और दिनांक 10.10.1996 की पालना में दिनांक 10.10.1998 को जो पट्टा जारी किया है उस पर पट्टा नम्बर अंकित नहीं है ऐसी किसी प्रक्रिया में ग्राम पंचायत यदि कोई प्रस्ताव लेता है तो वह प्रस्ताव कानून की दृष्टि में शून्य होता है और इस प्रकरण मे भी ग्राम पंचायत कोठार ने ऐसा ही किया है इस कारण प्रस्ताव संख्या 8 या 9 जो दिनांक 10.10.1996 को लिया गया है। जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में दिनांक 10.10.1998 को पट्टा जारी किया है। उस प्रस्ताव को निरस्त करने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है एवं सम्पूर्ण पृष्ठभूमि में प्रस्ताव संख्या 08 या 09 दिनांक 10. 10.1196 निरस्तनीय है। किसी भी ग्राम पंचायत को किसी भी व्यक्ति के पक्ष मे कोई पट्टा जारी किये जाने का प्रस्ताव पारित करना होता है तो वह व्यक्ति पट्टा प्राप्त करने के लिये अप्रार्थी ग्राम पंचायत में आवेदन पेश करेगा। आवेदन के साथ भूमि जिसका पट्टा प्राप्त करना होता है। उसका नक्शा भी पेश करेगा। ग्राम पंचायत ऐसे प्रार्थना पत्र को प्राप्त कर निर्धारित शुल्क लेकर प्रार्थी को रसीद जारी करेगा। यह है कि किसी भी आवेदन के प्राप्त होने के बाद ग्राम पंचायत पत्रावली कायम करेगी, पत्रावली पर नम्बर अंकित करेगी एवं प्राथमिक तौर पर यह निर्णय लेगी कि क्या उस व्यक्ति के पक्ष में पट्टा जारी किया जाए यदि हां तो ग्राम पंचायत नक्शा नवीस को उस स्थान का मौका देखने भेजेगा जिसका पट्टा जारी किये जाने का आवेदन प्राप्त हुआ है। एवं वह नक्शा नवीस मौका देखकर नक्शा बनाकर पंचायत में प्रस्तुत करेगा। यह है कि तत्पश्चात ग्राम पंचायत तीन वार्ड पंचो की नियुक्ति करेगी, तीनो नियुक्त वार्ड पंच मौका देखकर अपनी मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मौका रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर ग्राम पंचायत यदि पट्टा जारी करना उचित समझे तो पट्टा जारी करने का प्राथमिक निर्णय लेगी तत्पश्चात ग्राम पंचायत 30 दिवस का उजरदारी नोटीस जारी करेगी। नोटीस की एक प्रति ग्राम पंचायत के बोर्ड पर दूसरी प्रति गांव के आम चौराहे पर व तीसरी प्रति स्थान जिसका पट्टा जारी किया जाना है मौतबिरानों के रुबरु चस्पा करेगी। यह है कि 30 दिनों के भीतर यदि किसी प्रकार की

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी याचिकाएँ अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो आपत्ति करने वाले पक्षकार को सुनकर आपत्ति का निस्तारण किया जायेगा। तत्पश्चात प्रार्थी तथा उसके गवाहों के बयान लेकर यदि पंचायत पट्टा जारी करना उचित समझे तो उसका प्रस्ताव पारित किया जायेगा एवं प्रस्ताव की पालना में प्रार्थी जिसे पट्टा प्राप्त करना होता है वह निर्धारित शुल्क जमा करवाएगा तत्पश्चात प्रस्ताव की पालना में पट्टा जारी किया जायेगा। यह है कि इस प्रकरण में उपरोक्त वर्णित किसी भी प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है। इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रस्ताव संख्या 08 या 09 दिनांक 10.10.1996 निरस्तनीय है। अतः पंचायत निगरानी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रस्ताव संख्या 08 या 09 दिनांक 10.10.1996 जिसके आधार पर प्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में प्रार्थी संख्या 02 ने दिनांक 10.10.1998 को पट्टा जारी किया है उस प्रस्ताव को निरस्त फरमाया जावें।

अप्रार्थी संख्या 01 ने पंचायत निगरानी याचिका प्रकरण संख्या 39/2024 (जी.सी.एम.एस 2024/45) बखिलाफ श्री किरणसिंह में जवाब पेश कर निवेदन किया कि:

1. यह है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के खिलाफ पंचायत निगरानी याचिका के जरिये प्रस्ताव संख्या 08 या 09 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को दिनांक 10.10.1996 के द्वारा पट्टा जारी किये जाने के आदेश की पालना से दिनांक 10.10.1998 को पट्टा जारी को निरस्त करने की याचिका स्पष्टतया अवधि बाहर मिथ्या गलत व बेबुनियाद पेश की है जिस बिनाय पर प्रार्थी की निगरानी याचिका काबिल खारिज के है।
2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका के पद संख्या 02 लगाय 06 में वर्णित तथ्य गलत मनगढन्त मिथ्या होने से अस्वीकार है इसका जवाब यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 का गांव वेलार में जैन मन्दिर के पास आबादी क्षेत्र में एक आवासीय भुखण्ड पुश्तैनी पुराना कब्जाशुदा हक स्वामित्व का होने पर ही ग्राम पंचायत कोठार द्वारा संकल्प संख्या 03 दिनांक 10.10.1996 द्वारा नियमानुसार दिनांक 10.10.1996 का जारी निःशुल्क पट्टा ग्राम पंचायत कोठार द्वारा जारी किया गया है जिसके पडौस व नाप निम्न है:— पूर्व में भीखाजी छोगाजी का प्लोट मकान हाल राजाराम पुत्र भीकाजी माली का मकान, पश्चिम में:— नेनजी रावल का मकान हाल नारायणलाल पुत्र नेनाजी का मकान,उत्तर में— रुघनाथजी लुहार का मकान, दक्षिण मे आम रास्ताव दरवाजा भुखण्ड उपरोक्त पडौस वीचला भुखण्ड नाप में लम्बा उत्तर से दक्षिण में 48 फीट व चौड़ा पूर्व से पश्चिम 25 फीट कुल क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट है जिसे अप्रार्थी संख्या 01 उपयोग उपभोग कर रहा है तथा जिसके अन्दर अप्रार्थी संख्या 01 के पुराने पत्थर के 5 ट्रोली खण्डे, गोबर की उकरली, लकडिया, अंग्रेजी बबूल के पेड खडे है तथा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, तीन दिशाओं में मकान की दिवारे है। तथा दक्षिण दिशा में काटो की पुरानी बाड की गई है तथा आने जाने हेतु रास्ता किया हुआ है अप्रार्थी संख्या 01 का उपरोक्त पडोस विचला भुखण्ड (बाडा) प्रार्थी व इनके भाई नारायणलाल व कन्हैयालाल के मकानों के पूर्व दिशा मे होने से इन्होंने माह मई 2019 में अवैध जोर जबरदस्ती कब्जा कर निर्माण करने हडपने, झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी व दखलअन्दाजी करने पर अप्रार्थी संख्या 01 ने दिनांक 19.07.2019 को श्रीमान सिविल न्यायाधीश महोदय बाली के न्यायालय में इनके विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र एवं वाद बाबत जारी करने सार्वकालिक निषेधाज्ञा का पेश किया है जो विचाराधीन जिसके वाद संख्या 35/2019 तारीख पेशी 21.04.2025 है। प्रार्थी ने गलत रुपेण अप्रार्थी संख्या 01 की पट्टाशुदा कब्जाशुदा हक स्वामित्व की भूमि को हड़पने के लिये गलत रुपेण विधिविरुद्ध स्याद बाहर अजनबी व्यक्ति के निगरानी पेश की है जो काबिले खारिज है।
3. निगरानी के पद संख्या 07 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है अप्रार्थी संख्या 02 ने नियमानुसार पट्टा की प्रक्रिया की पालना कर संकल्प संख्या 03 दिनांक 10.10.1996 के अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से निशुल्क पट्टा दिनांक 10.10.1996 को जारी किया है

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी ने गलत रुपेण प्रस्ताव संख्या 08 व 09 दिनांक 10.10.1996 दर्शाये है जिससे प्रार्थी की निगरानी काबिले खारिज है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की निगरानी मय खर्चा खारिज फरमावें।

पंचायत निगरानी याचिका प्रकरण संख्या 60/2024 जी.सी.एम.एस. 2024/67) बखिलाफ श्री फुलचन्द के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि:–

1. प्रार्थी निगरानीकर्ता का ग्राम वेलार में जैन मंदिर के पास आबादी क्षेत्र में पुराना कब्जा शुदा, पट्टा शुदा आवासीय भुखण्ड निम्न अडौस पडौस के बीच आया हुआ स्थित है:–

पूर्व में :– भीकाजी माली का मकान

पश्चिम में:– नैनाजी रावल का मकान

उत्तर में:– रघुनाथ जी लौहार का मकान

दक्षिण में:– आम रास्ता व दरवाजा । उपरोक्त अडौस पड़ौस का आवासीय भुखण्ड पर प्रार्थी निगरानीकर्ता को ग्राम पंचायत कोठार ने विधिवत रुप से कार्यवाही करते हुए दिनांक 10.10.1998 को प्रार्थी निगरानीकर्ता के पक्ष में पट्टा जारी किया। जो निगरानी के साथ सलंग्न है। उपरोक्त आवासीय भुखण्ड पर प्रार्थी निगरानीकर्ता के पुनः पक्के निर्माण हेतु पांच टोली खण्डे व गोबर की उकरडी व घरेलु उपयोग हेतु लकडी आदि पड़ी है।

2. यह है कि प्रार्थी निगरानीकर्ता के उपरोक्त पट्टाशुदा, कब्जाशुदा व स्वामित्वशुदा आवासीय भुखण्ड के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी के पूर्वजों का निवास स्थित होना बताया है। जो प्रार्थी निगरानीकर्ता के सलंग्न पट्टे में दर्शित है।

3. यह है कि अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/3 प्रार्थी निगरानीकर्ता के उपरोक्त पट्टाशुदा, स्वामित्वशुदा आवासीय भुखण्ड के उपयोग उपभोग में बाधा व व्यवधान उत्पन्न करने पर प्रार्थी निगरानीकर्ता ने उनके विरुद्ध वाद वास्ते सार्वकालिक स्थायी निषेधाज्ञा का दिनांक 20.07.2019 को प्रस्तुत किया। तब अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/3 प्रार्थी निगरानीकर्ता के उपरोक्त पट्टाशुदा, स्वामित्वशुदा आवासीय भुखण्ड को हड़पने हेतु रंजीशवश प्रार्थी निगरानीकर्ता के पट्टे के विरुद्ध बिना किसी उचित कारण के निगरानी प्रस्तुत की।

4. यह है कि अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/3 व 3/1 ने प्रार्थी निगरानीकर्ता के उपरोक्त पट्टाशुदा, स्वामित्वशुदा आवासीय भूखण्ड को हड़पने हेतु फर्जी व कुटरचित तरीके से पट्टे की फोटोप्रति करते हुए जैर निगरानी पट्टा व प्रस्ताव विधि विरुद्ध तरीके से तैयार किया गया। जिसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/3 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत करने पर जवाबदावे के साथ दी फोटोप्रति से हुई, तत्पश्चात जैर निगरानी पट्टे व प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु अधीनस्थ ग्राम पंचायत में कई बार बार आवेदन करने पर जैर निगरानी पट्टे व उससे संबंधित प्रस्ताव व मिसल की प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं दी गई। तत्पश्चात सूचना के अधिकार नियम आवेदन करने पर अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने दिनांक 01.03.2021 को जैर निगरानी पट्टा व उससे संबंधित कोई रिकॉर्ड पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं होना बताया तथा सूचना दिनांक 01.03.2021 प्रदान करने पर उक्त निगरानी जैर निगरानी पट्टे की जानकारी की दिनांक व सूचना दिनांक 01.03.2021 प्राप्त होने से यह निगरानी अतिशीघ्र निम्न मुख्य आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है:–

1. यह है कि जैर निगरानी पट्टा व प्रस्ताव पंचायत राज नियमों व प्रावधानों के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह है कि जैर निगरानी पट्टा व प्रस्ताव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व साक्ष्य सबूतों के आधार पर पूर्णतः फर्जी व कूटरचित होने से निरस्त करने योग्य है।
3. यह है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत से उक्त कथित पट्टे के संबंध में सूचना चाहने पर ग्राम पंचायत रिकॉर्ड में पट्टा, प्रस्ताव व मिसल संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं होना

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

जाहिर किया तथा सिविल वाद संख्या 35/2019 में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा के साथ प्रार्थी निगरानीकर्ता को उपलब्ध करवाई गई। जैर निगरानी पट्टे को देखने मात्र से स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टे पर ग्राम पंचायत कोई उल्टी लिखा हुआ है तथा पट्टे की फोटोप्रति उल्टी सीधी करते हुए फर्जी तरीके से तैयार किया हुआ स्पष्ट प्रतीत होता है ऐसे पट्टे को कानूनन किसी तरह से मान्यता नहीं दी जा सकती। जो पूर्णतः फर्जी व कूटरचित तरीके से तैयार किया गया। इस कारण से जैर निगरानी पट्टा फर्जी व कूटरचित होने से निरस्त करने योग्य है।

4. यह है कि जैर निगरानी पट्टे व प्रस्ताव पंचायत के मिसल का कोई अस्तित्व नहीं होना, कोई रिकॉर्ड ही नहीं होने से ऐसे जैर निगरानी पट्टे व मिसल के विधि विरुद्ध अस्तित्व में बताते हुए उक्त कथित दस्तावेज विधि व तथ्यों के विपरित होने से व रिकॉर्ड के विपरित होने से निरस्त करने योग्य है।

5. यह है कि जैर निगरानी पट्टे व मिसल का कोई अस्तित्व संबंधित ग्राम पंचायत में होना नहीं बताया गया। ऐसे कथित फर्जी व कूटरचित पट्टे का अस्तित्व बताकर जैर निगरानी प्रार्थीगण के आवासीय भूमि पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न की तब प्रार्थी निगरानीकर्ता ने सिविल न्यायालय बाली में सार्वकालिक स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। जिसके जवाब के दौरान ऐसा फर्जी व कूटरचित जैर निगरानी पट्टा तैयार किया। जिस पट्टे का कोई अस्तित्व तक नहीं है। तथा ऐसे पट्टे के संबंध में पंचायत पर कोई रिकॉर्ड तक उपलब्ध नहीं है। ऐसे पट्टे को कानूनन मान्यता नहीं दी जा सकती है। इस कारण से जैर निगरानी पट्टा निरस्त करने योग्य है।

6. यह है कि पट्टा जारी करने की राजस्थान पंचायत राज नियम के तहत एक प्रक्रिया कानूनन तय है। जिसके अनुसार अधीनस्थ ग्राम पंचायत के अधीनस्थ भूमि का ही अधीनस्थ ग्राम पंचायत पट्टा जारी कर सकती है। लेकिन जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी ने फर्जी व कूटरचित तरीके से पट्टे की फोटोप्रति उल्टी सीधी करते हुए प्रार्थी निगरानीकर्ता की पट्टाशुदा आवासीय उपरोक्त भूमि को हडपने हेतु जैर निगरानी पट्टा जारी किया। जैर निगरानी पट्टा व प्रस्ताव जारी करने से पूर्व अप्रार्थीगण ने अधीनस्थ ग्राम पंचायत के समक्ष कोई विधिवत आवेदन तक नहीं किया तथा न ही कोई मिसल कायम की गई तथा न ही आवेदन के साथ जिस भूमि का पट्टा प्राप्त करना उसका नक्शा पेश किया तथा न ही वार्ड पंचों द्वारा मौका देखा गया, न ही आम इश्तिहार जारी किया गया, न ही नक्शा नवीस द्वारा नक्शा तैयार किया गया। इस कारण से जैर निगरानी पट्टा विधिवत प्रकिया अपना कर जारी नहीं किया होने व फर्जी व कूटरचित तरीके से अप्रार्थीगण द्वारा पट्टे की फोटोप्रति को उल्टी सीधी फोटोप्रति को उल्टी सीधी फोटोप्रति निकाल कर तैयार किया गया होने से ऐसे फर्जी व कूटरचित पट्टा व प्रस्ताव निरस्त करने योग्य है।

7. यह है कि किसी भी पट्टे हेतु आवेदन प्राप्त होने के बाद ग्राम पंचायत पत्रावली कायम करेगी पत्रावली पर नम्बर अंकित करेगी एवं प्राथमिक तौर पर यह निर्णय लेगा कि क्या उस व्यक्ति के पक्ष में पट्टा जारी किया जाये यदि हां तो ग्राम पंचायत नक्शा नवीस को उस स्थान का मौका देखने भेजेगा जिसका पट्टा जारी किये जाने का पट्टे हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है एवं वह नक्शा नवीस मौका देखकर नक्शा बनाकर पंचायत में प्रस्तुत करेगा।

8. यह है कि तत्पश्चात ग्राम पंचायत तीन वार्ड पंचों की नियुक्ति करेगा वे तीनों वार्ड पंच मौका देखकर अपनी मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मौका रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर ग्राम पंचायत यदि पट्टा जारी करना उचित समझेगा तो पट्टा जारी करनेका प्राथमिक निर्णय लेगी। तत्पश्चात ग्राम पंचायत 30 दिन की उजरदारी का नोटीस

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी याचिकाएँ अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

जारी करेगी। नोटीस की एक प्रति ग्राम पंचायत के बोर्ड पर दूसरी प्रति गांव के आम चौरोहे पर व तीसरी प्रति स्थान जिसका पट्टा जारी किया जाना है मौताबिरानों के रुबरु चस्पा करेगी।

9. यह है कि 30 दिनों के भीतर यदि किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो आपत्ति करने वाले पक्षकार को सुनकर आपत्ति का निस्तारण किया जायेगा। तत्पश्चात प्रार्थी तथा उसके गवाहों के बयान लेकर यदि पंचायत पट्टा जारी करना उचित समझे तो उसका प्रस्ताव पारित किया जायेगा एवं प्रस्ताव की पालना में प्रार्थी जिसे पट्टा प्राप्त करना होता है वह निर्धारित शुल्क जमा करवायेगा तत्पश्चात् प्रस्ताव की पालना में पट्टा जारी किया जायेगा। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित किसी भी प्रक्रिया की पालना में जैर निगरानी पट्टा व प्रस्ताव जारी नहीं कर फर्जी व कूटरचित तरीके से जैर निगरानी पट्टे में प्रस्ताव संख्या 03 दर्ज करते हुये तैयार किया। जो जैर निगरानी पट्टा व प्रस्ताव पूर्णतः फर्जी व कूटरचित होने से निरस्त करने योग्य है।
10. यह है कि विधि अनुसार पंचायत द्वारा कोई सम्पति विक्रय किये जाने की स्पष्ट विधि व प्रक्रिया निर्धारित है। पट्टा जारी करने की विधि व प्रक्रिया के विरुद्ध फर्जी व कूटरचित तरीके से तैयार किये गये पट्टे को निरस्त किया जाना कानूनी आवश्यक व न्यायसंगत है। ऐसे फर्जी व कूटरचित पट्टे व प्रस्ताव को किसी भी रुप में अस्तित्व में नहीं रखा जा सकता है। इस कारण से जैर निगरानी पट्टा व प्रस्ताव निरस्त करने योग्य है। अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर तथा ग्राम पंचायत कोठार के मिसल सख्या नील में पारित प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 12.09.1963 व उसकी अनुपालना में जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 16.10.1963 को निरस्त फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 01 ने पंचायत निगरानी याचिका प्रकरण संख्या 60/2024 (जी.सी.एम.एस. 2024/67) बखिलाफ श्री फूलचंद में जवाब पेश कर निवेदन किया कि:—

1. यह है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के खिलाफ पंचायत निगरानी याचिका के जरिये प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 12.09.1963 की पालना में जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 10.10.1963 को निरस्त करने की याचिका स्पष्टतया अवधि बाहर, मिथ्या गलत व बेबुनियाद पेश की है जिस बिनाय पर प्रार्थी की रिवीजन याचिका काबिल खारिज के है।
2. यह है कि प्रार्थी ने अपने याचिका में जिस आवासीय भूमि का पट्टा दिनांक 10.10.1998 के सही करना बताया है वह भूमि पट्टा दिनांक 24 दिनांक 10.10.1963 की भूमि का ही भाग तथा ग्राम पंचायत कोठार द्वारा अप्रार्थीगण के नाम जारी पट्टा संख्या 24 पर उसके अस्तित्व में रहते हुए जो पट्टा दिनांक 10.10.1998 को जारी करना बताया है उसी पट्टे को निरस्त कराने के लिए अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के विरुद्ध पंचायत निगरानी याचिका 39/2024 फूलचंद बनाम किरणसिंह के अनवान से अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली के समक्ष तारीख पेशी 27.06.2024 को कर रखी है जो कि पंचायत निगरानी याचिका भी श्रीमान के समक्ष विचाराधीन है। जिस विवादित भूमि पर प्रार्थी का कभी भी वास्तविक भौतिक व सही रुप से कब्जा व आधिपत्य नही रहा है तथा विवादित भूमि (एकमात्र) अप्रार्थीगण के स्वामित्व की कब्जाशुदा, पट्टाशुदा व अधिपत्य की भूमि है जिस पर प्रार्थी का किसी भी प्रकार का मालिकाना हक व स्वामित्व अधिकार नहीं है तथा पट्टा दिनांक 10.10.1998 को प्राप्त करने की विधिक रुप से प्रार्थी कोई पात्रता नही रखता है तथा उक्त भूमि का पट्टा का अभिलेख की ग्राम पंचायत कोठार के पास उपलब्ध नहीं है यही नही जिस पट्टा दिनांक 10.10.1998 का प्रार्थी के नाम जारी करना बताया जाता है उसके लिये प्रार्थी पात्रता नही रखता है तथा प्रार्थी का गांव कोठार में पहले से ही रहवासीय मकान है तथा प्रार्थी का गांव कोठार में पहले से ही रहवासीय मकान आया हुआ होने से प्रार्थी को दिनांक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी याचिकाएँ अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

10.10.1998 को जो निशुल्क पट्टा जारी किया गया है उसकी वह विधिक रुप से पात्रता नहीं रखता है जिसके लिए अप्रार्थीगण ने पंचायत निगरानी संख्या 39/2024 पेश कर रखी है।

3. यह है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध सिविल न्यायालय बाली के समक्ष एक दीवानी वाद संख्या 35/2019 किरण सिंह बनाम नारायणलाल व अन्य दिनांक 08/2024 में पेश कर रखा है जिससे प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र पेश किया गया जो माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 01.02.2021 के तहत प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र अस्वीकार कर खारिज किया गया जिस आदेश के विरुद्ध प्रार्थी ने कोई अपील रिवीजन, रिव्यु किसी सक्षम न्यायालय में पेश नहीं किये जाने से अन्तिम आदेश है जिससे माननीय न्यायालय द्वारा इस ग्राम पंचायत कोठार द्वारा जारी पट्टा दिनांक 10.10.1998 के आधार पर किये गये वाद को प्रथम दृष्टया नहीं माना, न ही सुविधा का सन्तुलन माना न ही अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त ही होना माना है।

4. यह है कि अप्रार्थी द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य के भूखण्ड को लेकर ग्राम पंचायत कोठार व विकास अधिकारी पंचायत समिति बाली में परिवाद करने पर जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया जिसमें भी प्रार्थी को जारी पट्टा दिनांक 10.10.1998 पट्टा संख्या 24 दिनांक 17.08.1963 को जारी किये गये पट्टे के नाप व पड़ौस की भूमि से कवर होता है किरणसिंह के हक में जारी किये पट्टे की वैधता व शुद्धता संदिग्ध होना बताकर पट्टा को खारिज किये जाने की सिफारिश की गई।

5. यह है कि प्रार्थी किरणसिंह ने जिस आधार पर अप्रार्थी के पट्टा नम्बर 24 दिनांक 10.10.1963 को निरस्त किये जाने की याचिका पेश की गई है उसमें दर्शाया गये कारण व आधार से भी स्पष्ट है कि प्रार्थी का उक्त भूमि पर कोई आधिपत्य व स्वामित्व नहीं होने से काबिल निरस्त है तथा जो पट्टा न. 24 नैनाराम मकना जी रावल ब्राह्मण जुहाराराम मकनाजी रावल ब्राह्मण निवासीगण वेलार राजपुतो का बास मन्दिर की सेरी वेलार का पट्टा जारी किया गया है उस सम्पति का अप्रार्थी के पूर्वजों के नाम पहले से ही पुराना पट्टा बना हुआ था जिस स्थान का नया पट्टा बनाकर दिया गया है जो पट्टा प्रार्थी किरणसिंह के हक में जारी किया गया पट्टा दिनांक 10.10.1998 से कंवर होता है जिससे स्पष्ट है कि किरणसिंह के हक में जिस भूमि का पट्टा पहले से ही निर्मित व बना हुआ है जिससे पट्टे पर पट्टा प्रार्थी किरणसिंह के नाम जारी किया गया है वह अवैध, शून्य व निष्प्रभावी है जिसका कोई अभिलेख भी ग्राम पंचायत वेलार में उपलब्ध नही है जिससे भी प्रार्थी का कोई अस्तित्व स्वामित्व व आधिपत्य विधिक रुप से विद्यमान नहीं होने से प्रार्थी किरणसिंह के हक में जारी किया गया पट्टा, अवैध, शून्य व निष्प्रभावी है जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पंचायत निगरानी याचिका काबिल खारिज के है। अतः जवाब पंचायत निगरानी याचिका प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की रिवीजन याचिका कानूनन परिपोषणीय नहीं होने से सव्यय खारिज अस्वीकार कर खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

विचाराधीन दोनों प्रकरणों से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड तलब करने पर ग्राम पंचायत द्वारा दोनों पट्टा विलेखों से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड (मिसल एवं पट्टा बुक) उपलब्ध नहीं होना सूचित किया तथा बैठक कार्यवाही रजिस्टर वर्ष 1963–64 उपलब्ध कराया।

प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से उभयपक्षकारान् की बहस सुनने का निश्चय किया गया।

काबिल अधिवक्ता बज़तरफ प्रार्थी श्री फूलचंद व अन्य की ओर से वक्त बहस निवेदन किया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड से संबंधित भूमि का पूर्व में इसी पंचायत द्वारा एक पट्टा विलेख

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी याचिकाएँ अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

प्रार्थी के पिता श्री नैनाराम एवं जुहाराराम पुत्र श्री मकनाजी रावल के पक्ष में निष्पादित किया हुआ है, जिसके पट्टा विलेख संख्या 24 है, जो कि दिनांक 16.10.1963 को जारी किया गया है। इसी पट्टाशुदा भूखण्ड के भाग का अप्रार्थी श्री किरणसिंह द्वारा पुनः पट्टा दिनांक 10.10. 1998 निष्पादित करवाया गया, जो कि अवैध है यह भी, कि उक्त पट्टा विलेख दिनांक 10.10. 1998 में न तो पट्टा संख्या अंकित है और न ही मूल मिसल संख्या का कोई विवरण अंकित है। ग्राम पंचायत में भी उक्त पट्टा विलेख से सम्बन्धित कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होना स्वयं ग्राम पंचायत ने स्वीकार किया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त पट्टा विलेख फर्जी व कूटरचित है

काबिल अधिवक्ता बजतरफ अप्रार्थी श्री किरणसिंह ने उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि उनके पक्ष में निष्पादित पट्टा विलेख दिनांक 10.10.1998 पूर्णतः वैध है जबकि प्रार्थी द्वारा वर्ष 1963 के जिस पट्टा विलेख का हवाला दिया गया है, वह पट्टा फर्जी व कूटरचित है। यह भी, कि इसी विवादित आराजी के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय बाली में पक्षकारों के मध्य एक वाद भी विचाराधीन है जो प्रकरण संख्या 35/2019 के रुप में आदिनांक लम्बित है। विवादित आराजी पर अप्रार्थी श्री किरणसिंह का ही कब्जा है तथा वर्ष 1963 के कूटरचित पट्टा विलेख के आधार पर प्रार्थी श्री फूलचंद इत्यादि द्वाराअवैध क्लेम किया जा रहा है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। यद्यपि दोनों प्रकरणों में पारस्परिक अप्रार्थीगण ने परिसीमा या स्याद सम्बन्धि आपत्ति बिन्दु उठाए है किन्तु चूंकि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के प्रावधानान्तर्गत पंचायत निगरानी प्रस्तुत करने हेतु कोई परिसीमा अवधि उपबन्धित नहीं है, अतः स्याद सम्बन्धि उठाई गई आपत्तिया अप्रासंगिक पायी जाती है।

विचाराधीन प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उभयपक्षकारों के मध्य ग्राम बेलार में स्थित एक भूखण्ड को लेकर विवाद है तथा दोनों ही पक्षों द्वारा इस संबंध में ग्राम पंचायत कोठार द्वारा निष्पादित तथाकथित दो अलग अलग पट्टा विलेखों के आधार पर विवादित भू भाग पर स्वत्व के दावे किए जा रहे है। इसी भूखण्ड के सम्बन्ध में इन्हीं पक्षकारों द्वारा सिविल न्यायालय बाली में भी कार्यवाही प्रस्तावित की गई है, जो सिविल वाद प्रकरण संख्या 35/19 के रुप में दर्ज होकर आदिनांक लम्बित है। पट्टा विलेख संख्या 24 दिनांक 16.10.1963 एवं पट्टा विलेख दिनांक 10.10.1998 को पक्षकारों द्वारा परस्पर पृथक–पृथक दो पंचायत निगरानी याचिकाएँ प्रस्तुत कर चुनौति दी गई है। उक्त दोनों ही प्रश्नगत पट्टा विलेखों से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड, यथा मूल मिसल, पट्टा बुक इत्यादि ग्राम पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं होना ग्राम पंचायत कोठार द्वारा अवगत कराया गया है, अतः मूल रिकॉर्ड के अभाव में उक्त पट्टा विलेखों की वैधानिकता एवं शुद्धिता का परीक्षण करना सम्भव नहीं है। मात्र पट्टा विलेखों की प्रतिलिपि के आधार पर इनकी वैधानिकता के सम्बन्ध में कोई निष्कर्षात्मक टिप्पणी करना न्यायोचित भी नहीं है। उक्त प्रश्नगत पट्टा विलेखों की वैधानिकता का परीक्षण साक्ष्य, जिरह इत्यादिके आधार पर ही किया जा सकता है, जो कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 में विहित संक्षिप्त विचाराधीन प्रक्रिया में अपेक्षित नहीं है। साक्ष्य प्रस्तुतिकरण एवं साक्ष्य विवेचना सिविल कार्यवाही में संभव है। महत्वपूर्ण है कि विवादित आराजी के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य सिविल न्यायालय बाली में सिविल वाद प्रकरण संख्या 35/19 विचाराधीन है, एवं माननीय सिविल न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में राजस्व विविध प्रकरण संख्या 21/19 में प्रदत्त निर्णय दिनांक 21.10.2021 में यह अभिनिर्धारित भी किया है कि वास्तविक तौर पर वादग्रस्त भूखण्ड किसके स्वामित्व व पट्टाशुदा है यह इस स्तर पर अवधारित नहीं किया जा सकता। यह साक्ष्य का विषय है तथा उभयपक्षों की साक्ष्य के विस्तृत विवेचन उपरान्त ही अवधारित किया जा सकता है। न्यायालय हाजा के विनम्र अभिमत में उभयपक्षकार माननीय न्यायालय सिविल

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी याचिकाएँ अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायाधीश बाली में विचाराधीन सिविल वाद प्रकरण 35/19 में अपने पारस्परिक दावों में साक्ष्य इत्यादि प्रस्तुत कर राहत प्राप्त कर सकते है।

अतः पंचायत निगरानी याचिका प्रकरण संख्या 39/2024 (जी.सी.एम.एस. 2024/45) बखिलाफ श्री किरणसिंह एवं याचिका प्रकरण संख्या 60/2024 (जी.सी.एम.एस. 2024/67) बखिलाफ श्री फूलचंद इत्यादि पर्याप्त दस्तावेजों के अभाव में ख़ारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **28.11.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। निर्णय दो प्रतियों में जारी होकर प्रत्येक याचिका के साथ नत्थीबद्ध किया जाए। अधीनस्थ पंचायत द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली